



**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

दिनांक : 06/01/2021

**समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा**

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) बजट आवंटन।  
प्रसंग : निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर  
के आदेश क्रमांक एफ9(4)(26)(2)/छात्र/अपिव बजट/सान्याअवि/2019-20/2772  
दिनांक 18.12.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) के वर्ष 2020-21 के पात्र आवेदन पत्रों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक (मुख्यालय) को लेखामद **2225-03-277-02-00-13 केन्द्रीय सहायता मद** में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-


क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	आवेदन पत्रों की संख्या	आवंटित राशि
1	AJMER	16289	54	86400
2	ALWAR	6452	157	251200
3	BANSWARA	21127	58	92800
4	BARAN	21800	86	137600
5	BARMER	13976	43	68800
6	BHARATPUR	7236	178	284800
7	BHILWARA	17971	244	390400
8	BIKANER	3735	55	88000
9	BUNDI	17137	143	228800
10	CHITTAURGARH	21402	129	206400
11	CHURU	4492	96	153600
12	DAUSA	8914	130	208000
13	DHAULPUR	7576	51	81600
14	DUNGARPUR	20897	132	211200
15	HANUMANGARH	3282	39	62400
16	JAIPUR	10196	254	406400
17	JAISALMER	13291	11	17600
18	JALORE	14459	70	112000
19	JHALAWAR	22087	133	212800
20	JHUNJHUNUN	5349	30	48000
21	JODHPUR	13122	29	46400
22	KARALI	8055	106	169600
23	KOTA	21597	109	174400
24	NAGPUR	12261	51	81600
25	PALI	15571	60	96000

26	PRATAPGARH	22191	16	25600
27	RAJSAMAND	18401	7	11200
28	S.MADHOPUR	8468	105	168000
29	SIKAR	11216	63	100800
30	SIROHI	14800	50	80000
31	SRI GANGANAGAR	2735	26	41600
32	TONK	16781	82	131200
33	UDAIPUR	20688	117	187200
<b>TOTAL</b>			<b>2914</b>	<b>4662400</b>

(अखरे रूपये छियालिस लाख बासठ हजार चार सौ मात्र)


इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जावे एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावे।
4. राशि का आवंटन वर्ष 2020-21 के पात्र विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2020-21 के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।
6. दिनांक 13.01.2021 तक छात्रवृत्ति का वितरण शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करावें।

  
लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर  
दिनांक : 01.01.2021

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, \_\_\_\_\_
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

  
लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर